

कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम,  
“ भण्डारण भवन ” न्यू हैदराबाद,  
लखनऊ।

अल्पकालीन निविदा सूचना

निगम की एम्बेसडर कार संख्या-**UP32- BH 6010** एवं **UP32- BS 1710** (पेट्रोल चालित) “जहाँ है, जिस रूप में है” की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक-01.08.2017 को 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक-01.08.17 को अपराह्न 4.00 बजे निगम मुख्यालय में खोली जायेगी। निविदा फार्म दिनांक-01.08.17 को अपराह्न 2.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निगम के मुख्यालय से धनराशि रू0-100.00 (रूपये एक सौ) प्रति एवं कर (टैक्स) अतिरिक्त भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। जो किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में निगम के मुख्यालय में प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक किया जा सकता है। एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा। निविदा की विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट [www.upswc.com](http://www.upswc.com) पर देखी जा सकती है।

प्रबन्ध निदेशक


कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, भण्डारण भवन, न्यू हैदराबाद लखनऊ।

स०-रा०भ०नि० / 6161 / सामान्य / एस-7 / कार बिक्री / 2017-18, दिनांक:- 17/11/17

### टर्म्स एण्ड कण्डीशन

1. इस निगम की एम्बेसडर संख्या- **UP32- BH 6010 एवं UP32- BS 1710** "जहाँ है जिस रूप में है" की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं निविदा फार्म रू०-100.00 (रूपये एक सौ) एवं उस पर कर अतिरिक्त जो भी देय हो, को किसी भी दशा में वापिस नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म उक्त कार्यालय के कैशियर से प्राप्त की जा सकती है।
2. प्रत्येक निविदा के साथ रू०-5,000.00 (रूपये पाँच हजार) मात्र की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो "यू०पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन" के नाम देय होगी, संलग्न करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की धनराशि धरोहर राशि में समायोजन मान्य न होगा। बिना धरोहर राशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदायें दिनांक:-01.08.2017 को दोपहर 3.00 बजे (तीन बजे) तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन दोपहर 4.00 बजे निर्धारित स्थल पर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य भण्डारण निगम द्वारा अधिकृत/मनोनीत अधिकारियों की गठित कमेटी के समक्ष खोली जायेगी।
4. वाहन संख्या- **UP32- BH 6010 एवं UP32- BS 1710** का न्यूनतम विक्रय मूल्य क्रमशः रू०-25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार) एवं रू०-24,500.00 (रूपये चौबिस हजार पाँच सौ) मात्र निर्धारित किया गया है, इससे कम मूल्य की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निगम को उच्चतम या कोई भी निविदा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. कार का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर बिक्री स्थल पर किया जा सकता है। निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा देने से पूर्व कार का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। बिक्री के बाद कार के संबंध में कोई शिकायत मान्य न होगी। कार की डिलीवरी निरीक्षण स्थिति के अनुसार ही दी जायेगी।
7. यदि यह सन्देह होता है कि निविदायें रिंग बनाकर अथवा किसी पूर्व नियोजित उद्देश्य से डाली गयी है और कार की कीमत ठीक नहीं लग रही है, तो बिक्री कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह निविदायें निरस्त कर दें और बिक्री स्थगित कर दें।

8. निविदाओं पर अन्तिम निर्णयोपरान्त गाड़ी की जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी, निगम इसके लिये उत्तरदायी न होगा ।
9. कार क्रय करने वाले व्यक्ति को निविदा की अधिकतम राशि के अतिरिक्त उस पर देय कर, अनुपातिक रोड टैक्स एवं बीमा की धनराशि 07(सात) दिन के अन्दर जमा कर कार की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी अन्यथा समस्त जमा धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी ।

  
(विजय कुमार श्रीवास्तव )  
प्र०महाप्रबन्धक (सामा०प्रशा०)